"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2013—श्रावण 11, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-14/2011/19/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4744/लो.नि.वि./02/19, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

परिशिष्ट 9.26 के भाग-एक के सरल क्रमांक (16) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(16-क) छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सांसद एवं भूतपूर्व विधायक के वाहन."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 20-14/2011/19/तक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-14/2011/19/तक-4, दिनांक 02-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 2nd August 2013

NOTIFICATION

No. F-20-14/2011/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Department's Notification No. 4744/PWD/02/19, Dated 2nd September 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

After serial number (16) of Part-I of Appendix 9.26, the following shall be inserted, namely :—

"(16-a) Vehicle of Ex-member of Parliament and Ex-member of Legislative Assembly of Chhattisgarh."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.